

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

थाना नगीना पुलिस द्वारा 10 पेटी शराब फाईटर मार्का (कीमत लगभग 36000/- रुपये) व एक बुलेरो कार सहित

03 अभियुक्तगण गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर के निर्देशन में शराब तस्करो/माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगीना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना नगीना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 30.04.2021 को चैकिंग के दौरान धामपुर रोड तडका होटल के सामने से समय करीब 21.10 बजे सुबह 10 पेटी शराब फाईटर मार्का (कुल 450 पक्वे) मय एक अदद बुलेरो कार न0 UP35X - 4157 के साथ अभियुक्तगण 1- खिलेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम बाद शाहँपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2- जयपाल पुत्र श्री सौ सिंह नि0 ग्राम बाद शाहँपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 3- संजय पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम लतीफपुर थाना अ मरोहा देहात जनपद अमरोहा बरामद की गयी है। इनके विरुद्ध थाना नगीना पर मु0अ0सं0 163/2021 धारा 60/72 EX.ACT पंजीकृत किया गया व बुलेरो कार न0 UP35X4157 को अन्तर्गत धारा 207 MV act के तहत सीज की गयी।

अभियुक्तगणो से बरामदगी का विवरण

10 पेटी शराब फाईटर मार्का (कुल 450 पक्वे) कुल कीमत लगभग 36000 रुपये/-

गिरफ्तार अभियुक्तगणो का नाम व पता

1. खिलेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम बाद शाहँपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2. जयपाल पुत्र श्री सौ सिंह नि0 ग्राम बाद शाहँपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
3. संजय पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम लतीफपुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा

गिरफ्तारी टीम

1. प्रभारी निरीक्षक कृष्ण मुरारी दोहरे
2. उ0नि0 श्री सुभाष धनकड
3. उ0नि0 योगेश कुमार
4. का0 1564 विपिन कुमार



थाना नगीना पुलिस द्वारा लाकडाउन का उल्लंघन करने पर की गयी कार्यवाही में 02 अभियुक्तगण

गिरफ्तार।

1.पंजीकृत अभियोग – 164/2021

2.धारा – 188/269/270 IPC व 3 महामारी अधि० तथा धारा 3 महामारी अधिनियम व धारा 51(B) आपदा प्रबंधन अधि० 2005 व धारा 23 उ०प्र० लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियन्त्रण अध्यादेश 2020

3. दिनांक घटना /गिरफ्तारी - 30.04.2021 , समय – 22.50 बजे

4.दिनांक सूचना - 30.04.2021 , समय - 23.31 बजे ,

5.वादी - उप नि० योगेश कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

6.संक्षिप्त विवरण - राज्य सरकार व श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बिजनौर द्वारा सम्पूर्ण जिले मे किये गये लाँकडाउन व धारा 144 द०प्र०स० लागू की गयी है जिसके अनुपालन हेतु उप नि० श्री योगेश कुमार व हैड का० 338 ओम सिंह व का० 1564 विपिन कुमार थाना नगीना क्षेत्र मे मामूर थे उप नि० द्वारा देखा गया कि थाना नगीना क्षेत्र रेलवे स्टेशन के पास स्थिति तुलाराम होटल के कर्मचारीगण 1.अनिल पुत्र जय प्रकाश निवासी मौहल्ला शाहजहीर थाना नगीना जनपद बिजनौर, 2.सोनू उर्फ शिबू पुत्र देवानन्द निवासी मौहल्ला पंजाबी कालौनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा बिना मास्क लगाये होटल खोलकर ग्राहकी करते हुये पाये गये उक्त अभियुक्तगणो द्वारा लाँक डाउन व धारा 144 द०प्र०स० का उल्लंघन कर कोविड -19 संक्रमण फैलान का प्रयास व मानव जीवन को संकट मे डाला गया है । गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणो के विरुद्ध मु०अ०स० 164/2021 188/269/270 IPC व 3 महामारी अधि० तथा धारा 3 महामारी अधिनियम व धारा 51(B) आपदा प्रवधन्न अधि० 2005 व धारा 23 उ०प्र० लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियन्त्रण अध्यादेश 2020 पंजीकृत किया गया है ।

7.गिरफ्तारी अभियुक्तगण

1.अनिल पुत्र जय प्रकाश निवासी मौहल्ला शाहजहीर थाना नगीना जनपद बिजनौर,

2.सोनू उर्फ शिबू पुत्र देवानन्द निवासी मौहल्ला पंजाबी कालौनी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

9.गिरफ्तारी स्थान – तुलाराम होटल नगीना

10.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उप नि० श्री योगेश कुमार

2.हैड का० 338 ओम सिंह

3.का० 1564 विपिन कुमार



थाना शेरकोट— आज दिनांक 01.05.2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त शुभम पुत्र भुक्कन सिंह निवासी मोहल्ला निकम्मा साहा कस्बा व थाना शेरकोट, जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

